# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

**विविध बैंक प्रकरण संख्या 167 / 2024(GCMS : 2024/247)**

**ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड** (पूर्व मं ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4–ई–8–जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हॉस्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

**<u>बनाम</u>**

1. **पवन कुमार** पुत्र श्री हीरालाल निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर –335062
2. **वनीता देवी** पत्नी श्री पवन कुमार निवासी वार्ड नं. 1, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर–335062
3. **रोशनी देवी** पत्नी श्री हीरालाल निवासी वार्ड नं. 1, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

<u>**04.12.2024**</u>

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार मेहन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण पवन कुमार, वनीता देवी एवं रोशनी देवी को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/–लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 16.07.2019 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 06.05.2024 को 8,06,784/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी रोशनी देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 40, वार्ड नं. 01, सादु[illegible] साईज 106.94 सक्वायर यार्ड, जिसका आसापासा– पूर्व में [illegible] में अन्य मकान, उत्तर में ओम प्रकाश की सम्पत्ति, दक्षिण में [illegible] की सम्पत्ति है,** का [illegible] कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से [illegible]लाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:24 IST
Reason: Self Attested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14,** शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण पवन कुमार, वनीता देवी एवं रोशनी देवी** को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/— लाख रूपये **(अखरे रूपये आठ लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 16.07.2019 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रोशनी देवी ने अपनी अचल सम्पत्ति **पट्टा नं. 40, वार्ड नं. 01, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर साईज 106.94 सक्वायर यार्ड, जिसका आसापासा— पूर्व में सडक, पश्चिम में अन्य मकान, उत्तर में ओम प्रकाश की सम्पत्ति, दक्षिण में लालाराम की सम्पत्ति है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.05.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए [illegible] सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित [illegible]यों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर वि[illegible]त् रूप से होनी आवश्यक है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी रोशनीदेवी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 40, वार्ड नं. 01, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर साईज 106.94 सक्वायर यार्ड, जिसका आसापासा– पूर्व में सडक, पश्चिम में अन्य मकान, उत्तर में ओम प्रकाश की सम्पत्ति, दक्षिण में लालाराम की सम्पत्ति है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी** नोटिस 08.05.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 08.05.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 10.05.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके** अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही [illegible] पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है** इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी रोशनी देवी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:24 IST
Reason: SelfAttested